

**Subject: Online implementation of NFSM-OS & OP for the year 2019-20.**

- 1. Section in which Scheme is activated:** Demonstration | प्रदर्शन प्लांट
- 2. Scheme Name:** National Food Security Mission –OS & OP | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –ओ. एस. & ओ. पी.
- 3. Program Name which needs to be activated:**  
Cluster Demonstration of Mustard with Bee Keeping | सरसों के साथ मधुमक्खी पालन के तहत समूह प्रदर्शन प्लॉट
- 4. Financial Year:** 2019-20
- 5. Start Date:** 11.10.2019
- 6. End Date:** 26.10.2019
- 7. Total Area Allocated (In are):** 25 acre
- 8. Unit (Area Unit):** Acre .
- 9. Total Fund Allocated (INR):** Rs. 0.5 lakh
- 10. Assistance:** Rs. 2000/- per acre.
- 11. Max Area Limit:** 1 Hactare (2.5 Acres)
- 12. Extend Days (if any optional)**
- 13. Guidelines (PDF only):**
  1. एक किसान को अधिकतम 1 हैक्टेयर (2.5 एकड) का लाभ दिया जाएगा।
  2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
  3. किसान बीज हरियाणा बीज विकास निगम के विक्रय केन्द्र से बीज खरीदेगा व अन्य प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री (बीज के अतिरिक्त) भूमि सुधार विकास निगम/हरियाणा बीज विकास निगम/सरकारी/अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
  4. स्कीम का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के लिए निम्न शर्त अनिवार्य है:—
    1. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में शामिल होना चाहिए।
    2. फसल अवशेष जलाने का दोषी न हो।
    3. मृदा स्वास्थ्य कार्ड धारक होना चाहिए।
    4. सूक्ष्म सिचाई तकनीक अपनाने वाले को वरियता दी जाएगी।
- 14. Notifications (PDF only)**
- 15. Certificate required (if any Certificate is required from farmer for applying this scheme):**  
Aadhaar Card, Voter Card, Pan Card, Bank detail and Mobile Number.
- 16. Activation date with time.**



**कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा  
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना**

राष्ट्रीय खादय सुरक्षा मिशन – तिलहन (ओ0 एस0 ओ0 पी0) स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिला यमुनानगर में सरसों के साथ मधुमक्खी पालन के समूह प्रदर्शन प्लाट पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट [www.agriharyana.gov.in](http://www.agriharyana.gov.in) में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 26-10-2019 तक कर सकते हैं।

सरसों के साथ मधुमक्खी पालन?

समूह प्रदर्शन प्लाट पर रू0 2000/एकड़ सामान्य वर्ग/20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise, Bloek wise Physical & Financial targets for NFSM- OS & OP Block Demonstration under TOT Programmes-Cluster Demonstration on Rapessed & Musdard with Bee Keeping Assistance of Rs. 2000/ acre for 2019-20 (Area in Acre & Rs. In lakh)												
Sr No	Distt	Block	General Category		SC Category		Total of 30% women farmers		Total of 33% Small & Marginal farmer		Total	
			Phy. Target	Fin. Target	Phy. Target	Fin. Target	Phy. Target	Fin. Target	Phy. Target	Fin. Target	Phy. Target	Fin. Target
1	Y.nagar	jagadhri	8	0.16	9	0.18	13	0.26	16	0.32	25	0.5
	Total		8	0.16	9	0.18	13	0.26	16	0.32	25	0.5
	<b>G.Total</b>											

**विशेष दिशा निर्देश:-**

- 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
- किसान हरियाणा बीज विकास निगम के विक्रय केन्द्र से बीज खरीदेगा व अन्य प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री (बीज के अतिरिक्त) भूमि सुधार विकास [निगम/हरियाणा](#) बीज विकास निगम/सरकारी/अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
- स्कीम का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के लिए निम्न शर्त अनिवार्य है:-
  1. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में शामिल होना चाहिए।
  2. फसल अवशेष जलाने का दोषी न हो।
  3. मृदा स्वास्थ्य कार्ड धारक होना चाहिए।
  4. सूक्ष्म सिंचाई तकनीक अपनाने वाले को वरियता दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि [अधिकारी/उपमण्डल](#) कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा